भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3459

13 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एफएसएसएआई द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन

3459. श्री भोजराज नाग:

श्रीमती स्मिता उदय वाघ:

श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

श्री मनीष जायसवाल:

श्री बलभद्र माझी:

श्री अनुराग सिंह ठाकुर

श्री राजकुमार चाहर:

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

श्री काली चरण सिंह:

श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:

श्री रवींद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा एकत्र और परीक्षण किए गए खाद्य नमूनों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है और मानक से कम मिथ्या छाप या लेबलिंग और समाप्ति तिथि मानदंडों के उल्लंघन में पाए गए नमूनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान क्लाउड किचन, गोदामों और ऑनलाइन खाद्य वितरण प्लेटफार्मों के निरीक्षण सहित वर्ष-वार किए गए जोखिम-आधारित निरीक्षणों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के द्वारा किए गए उल्लंघनों और के विरुद्ध की गई कार्रवाई का लगाए गए जुर्माने, निलंबित या रद्द किए गए लाइसेंस, शुरू किए गए अभियोजन और दोषसिद्धि के ब्यौरे सहित वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने परीक्षण क्षमता, जनशक्ति और प्रवर्तन बुनियादी ढांचे में कमियों का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) खाद्य सुरक्षा निगरानी को सुदृढ़ करने, लेबलिंग पारदर्शिता में सुधार करने, समाप्ति तिथि के साथ छेड़छाड़ को रोकने और निर्धारित सीमा से अधिक खाना पकाने के तेल के पुनः उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) देश भर में खाद्य गुणवत्ता की निगरानी और उपभोक्ता संरक्षण बढ़ाने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अवधारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिदेश है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है।

जबकि एफएसएसएआई विज्ञान आधारित मानक अवधारित करने और समग्र समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, वहीं राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण मुख्य रूप से क्षेत्रीय स्तर पर प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अधीन निर्दिष्ट अधिकारियों (डीओ) और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (एफएसओ) को एफएसएस अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के प्रवर्तन का दायित्व सौंपा गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान विश्लेषण किए गए प्रवर्तन नमूनों, गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों और की गई दंडात्मक कार्रवाई का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों-वार विवरण **अनुलग्नक** में है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली (आरबीआईएस) विकसित की है, जिसमें निरीक्षण की आवृत्ति खाद्य व्यवसायों से जुड़े जोखिम और जारी दिशानिर्देश के आधार पर तय की जाती है। उच्च जोखिम वाली श्रेणी के रूप में चिन्हित सभी खाद्य श्रेणियों के लिए वार्षिक निरीक्षण करना होता है। किए गए जोखिम आधारित निरीक्षणों का विवरण निम्न है -

वित्तीय वर्ष	**किए गए कुल जोखिम आधारित निरीक्षण**
2022-23	11904
2023-24	18098
2024-25	26267

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय लाइसेंस धारक सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को वर्ष में एक बार एफएसएसएआई द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों से थर्ड पार्टी लेखापरीक्षा करानी अनिवार्य है।

एफएसएसएआई देश में खाद्य सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इस सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं:

• लाइसेंसिंग और पंजीकरण जैसे प्रवर्तन और अनुपालन को सुदृढ़ करना

• निरीक्षण और लेखापरीक्षा, प्रवर्तन और निगरानी नमूनों का नमूनाकरण और परीक्षण

• उपभोक्ता शिकायत निवारण

• अधिकारियों के लिए क्षमता सृजन

• प्रयोगशालाओं के लिए उच्च स्तरीय/बुनियादी उपकरण जैसे खाद्य परीक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाना।

• एफएसएसएआई की पहलों को बढ़ावा देना, जैसे ईट राइट कैंपस, ईट राइट स्कूल

• खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने और नमूना लेने के लिए वाहनों को किराए पर लेने जैसी लचीली सहायता

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, 4208 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 2997 खाद्य सुरक्षा अधिकारी और 718 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 668 निर्दिष्ट अधिकारी कार्यरत हैं।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, नियमों का अनुपालन न करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों के विरुद्ध उचित दंडात्मक कार्रवाई की गई है। इसमें अधिनियम की धारा 32 के तहत सुधार-नोटिस जारी करना और नियमों का पालन न करने की स्थिति में लाइसेंस का निलंबन या रद्द करना जैसी आगे की कार्रवाई शामिल है। इसके अलावा, निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जुर्माना, न्यायिक कार्यवाही या अभियोजन जैसी कार्रवाई की गई है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020 अधिसूचित किया है, जो पारदर्शिता, सटीकता और उपभोक्ता जागरूकता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इन विनियमों के अनुसार खाद्य उत्पादों के लिए स्पष्ट और विस्तृत लेबलिंग एवं प्रदर्शन संबंधी अपेक्षाएं अनिवार्य हैं।

खाना पकाने के पूर्व-प्रयुक्त-तेल को प्रतिबंध करने के लिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए प्रयुक्त-तेल, यदि तलने संबंधी खाद्य तेल की खपत प्रतिदिन 50 लीटर से अधिक है, के निपटान का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस एवं पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2017 के माध्यम से यह प्रावधान जोड़ा है कि “25% से अधिक कुल पोलर कंपाउंड वाले वनस्पति तेल का उपयोग नहीं किया जाएगा”।

देश में खाद्य नियामक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, एफएसएसएआई ने खाद्य नमूनों के विश्लेषण के लिए 252 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और अपील संबंधी नमूनों के विश्लेषण के लिए 24 रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है। एफएसएसएआई ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (एमएफटीएल) जिसे “फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स” (एफएसडब्ल्यू) कहा जाता है, के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराई है। यह मिलावट से निपटने का एक महत्वपूर्ण तरीका है क्योंकि एफएसडब्ल्यू

विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट की मौके पर ही जांच करने के लिए बुनियादी ढांचे से सुसज्जित हैं। वर्तमान में, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 305 एफएसडब्ल्यू कार्यरत हैं।

इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, उपभोक्ता/नागरिक https://foscos.fssai.gov.in/consumergrievance/ पर खाद्य व्यवसाय संचालक के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतें helpdesk-foscos@fssai.gov.in या compliance@fssai.gov.in पर ईमेल के माध्यम से या टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-11-2100 के माध्यम से भी भेजी जा सकती हैं।

अनुलग्नक

पिछले 3 वर्षों के दौरान विश्लेषण किए गए, गैर-अनुरूप पाए गए और की गई दंडात्मक कार्रवाई से संबंधित प्रवर्तन नमूनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण													
		(2024-2025)				**(2023-2024)**				**(2022-2023)**			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**विश्लेषित नमूनो की संख्या**	दीवानी मामले	आपराधिक मामले	**रद्द लाइसेंस**	**विश्लेषित नमूनो की संख्या**	दीवानी मामले	आपराधिक मामले	**रद्द लाइसेंस**	**विश्लेषित नमूनो की संख्या**	दीवानी मामले	आपराधिक मामले	**रद्द लाइसेंस**
			जुर्माने वाले निर्णय	दोषसिद्धि की संख्या			जुर्माने वाले निर्णय	दोषसिद्धि की संख्या			जुर्माने वाले निर्णय	दोषसिद्धि की संख्या	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	810	0	0	1	0	0	0	0	1200	58	0	0
2	आंध्र प्रदेश	5984	464	8	15	6439	646	8	40	3607	339	12	64
3	अरुणाचल प्रदेश	125	7	0	5	501	2	0	25	258	0	0	20
4	असम	1705	0	0	19	1139	0	0	0	602	0	0	0
5	बिहार	2863	25	0	7	2806	79	0	10	2935	39	0	10
6	चंडीगढ़	374	116	41	5	311	87	52	1	473	27	8	4

7	छत्तीसगढ	2069	143	6	1	1373	86	2	0	1468	119	8	0
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	56	0	0	0	185	0	0	0	164	13	0	0
9	दिल्ली	2624	18	16	1	3412	36	12	1	3133	86	10	0
10	गोवा	1172	11	0	0	599	17	0	1	699	11	0	4
11	गुजरात	12387	859	91	8	15841	1701	65	7	14562	547	24	15
12	हरियाणा	2233	599	59	20	3485	593	47	15	4445	915	35	25
13	हिमाचल प्रदेश	1587	471	0	3	1618	376	2	6	2720	93	1	9
14	जम्मू एवं कश्मीर	6955	1,239	29	17	9057	1612	22	19	13502	1592	15	42
15	झारखंड	364	52	0	1	384	59	0	2	943	44	8	1
16	कर्नाटक	9371	283	32	34	5492	75	16	50	3416	191	15	56
17	केरल	10767	1,088	206	40	10792	854	134	137	8533	454	33	90
18	लद्दाख	417	38	0	0	638	19	0	1	220	23	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	मध्य प्रदेश	13920	2,597	22	3	13998	1938	46	10	12507	1908	71	22
21	महाराष्ट्र	5403	1,147	0	9	5087	154	0	4	11077	198	5	17
22	मणिपुर	126	2	0	1	168	0	0	0	169	0	0	3
23	मेघालय	388	0	0	0	123	0	0	0	409	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0
25	नगालैंड	223	0	0	0	138	3	0	1	109	0	0	1
26	उड़ीसा	2282	27	0	2	2003	0	0	24	1368	47	0	40
27	पुदुचेरी	173	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	1
28	पंजाब	4131	333	8	1	6041	1204	102	0	8179	1404	5	1
29	राजस्थान	13840	3,114	30	2	18536	2181	12	0	13184	2435	4	1
30	सिक्किम	254	0	0	0	231	0	0	0	279	4	0	0
31	तमिलनाडु	18071	1,536	492	7	18146	2195	478	36	24188	3714	678	47
32	तेलंगाना	3347	125	0	1	6156	425	0	6	4809	315	0	9
33	त्रिपुरा	123	0	0	0	87	0	0	0	31	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	30380	14,920	215	16	27750	14627	163	9	30140	13148	251	50
35	उत्तराखंड	1509	256	4	1	1998	332	0	1	1839	507	5	1
36	पश्चिम	14502	672	6	0	5948	285	0	2	6203	233	0	0

	बंगाल												
	कुल	**170535**	**30142**	**1265**	**220**	**170513**	**29586**	**1161**	**408**	**177511**	**28464**	**1188**	**533**
